न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 144 सन 2015
अनवान :–

1. शारदा पुत्री भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ पत्नी तेजपाल शर्मा निवासी वनमन्दोरी

वादी

बनाम

1. भगवानराम पि0 मु0 रामस्वरूप जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. घनश्याम पुत्र भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
3. होशियारीलाल पुत्र भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. ममता पुत्री भगवानाराम पत्नी शिशकान्त जाति शर्मा निवासी कालवाना तहसील डबबाली जिला डबबाली
5. आरजु पुत्री गायत्री पुत्री भगवानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता जसवन्त जाति शर्मा निवासी करणीसर शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ।
6. शाखु पुत्री गायत्री पुत्री भगवानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता जसवन्त जाति शर्मा निवासी करणीसर शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रंकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक्ट खसरा न0 98 की 4.641हैक्ट कुल 9.282हैक्ट में से भगवानाराम पि0मु0 रामस्वरूप के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भगवानाराम पुत्र रामस्वरूप के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया के पिता भगवानाराम को अपने खोलायत पिता से विरास्तन से प्राप्त भूमि है जो वादीया के दादा रामस्वरूप के फोत हो जाने के बाद कर्ता खानदान होने के कारण समस्त 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जबकि उक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का जन्मजात हक हिस्सा के अधिकारी है वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 तथा गायत्री जो फोत हो चुकी है भगवानाराम के वारिस है इसलिये न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक के तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता खानदान होने के कारण वादीया के दादा रामस्वरूप के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का बराबर का हक हिस्सा है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है वादीया अपने हकों की घोषणा होने तक प्रतिवादी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने की अधिकारी है

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हिस्सा की भूमि वादीया के नाम दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्यां 1 ता 4 के नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक के तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 को तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा व जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जबाब पेश किया की वादीया वाद भूमि की किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने वाद भूमि कभी काश्त नही की गई ना की कब्जा है इसलिये वाद मेन्टेबल नही है वादीया को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में वाद लाने का कोई अधिकार नही है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 को असल पिता से कोई भूमि प्राप्त नही हुई है संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम सन 2005 में जो दिनांक 9.9.2005 से लागू हुआ था जो पुरा का पुरा दिनांक 13.05.2015 को विलोपित किया जा चुका है इसलिये वादीया को वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार का दावा लाने का अधिकर नही है वाद वादीया विधि द्वारा वर्जित है तथा काबिल खारीजी है वादीया को दावा लोन का कोई वाद हैतुक नही है केवल प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये वाद पेश किया गया वादीया का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने वादीया के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया की वादीया ने दावा वादगस्त भूमि दादालाई मानते हुए प्रस्तुत किया है जो वादीया का दादा रामस्वरूप सन 1997 में ही फोत हो चुका है तथा उस समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 फोर्स में नही था तथा उस काननू के मुताबिक पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पति तक के लिए दावा ला सकता था तथा पुत्रियों को पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पति में कोई हक अधिकार नही था तथा संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सन 2005 में प्रभाव पश्चातवर्ती है मगर किसी दादा की मृत्यू संशोधित अधिनियम सन 2005 के लागु होने से पूर्व हो चुका है तथा यह संशोधित अधिनियम लागु नही होगा तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 लागु हो गया जिसके अनुसार वादीया वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है।

वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण उत्तरादाता व रामस्वरूप सन 1997 में फोत होने के कारण उस समय के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 की धारा 6 ,8 के अनुसा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदारहै वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जरिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादीगण उत्तरादाता ने वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की प्रतिवादी संख्या 2 ,3 उत्तरदाता को वादग्रस्त भूमि में बहिब दर्ज करवा देवे वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही है तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक्[illegible] 98 की 4.641हैक् कुल 9.282हैक् में से भगवानाराम पि0मु0 रामस्वरूप [illegible] रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक् [illegible] भगवानाराम पुत्र रामस्वरूप के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है को प्रतिवादी संख्या [illegible] ता 3 के नाम बहिब दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के काउन्टर क्लेम का जबाबुल जबाब पेश किया की दावा में दर्ज समस्त भूमि वादीया की पैतृक सम्पति है तथा वादीया के पिता को विरासतन से प्राप्त हुई है जो परिवार के मुखिया होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जिसमें वादीया का जन्म से अधिकार है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी में देरीना करने एव भूमि हडपने की नियत से पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब दावा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम व वादीया का जबाबुल जबाब शामिल मिसल किया गया जिनके आधार पर तनकी कायम की कई जो निम्नप्रकार से है।

1. आया कि घोषणा की जावे की रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक खसरा न0 98 की 4.641हैक कुल 9.282हैक में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक भूमि में से वादीया 1/4 हिस्सा दादालाई भूमि है।
2. यह कि उक्त भूमि में भंगवानाराम के साथ मुझ वादीया का जन्मजाज हक व हिस्सा है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर भगवानाराम के साथ वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की दावा में दर्ज भूमि का रहन बेय नही करे।
4. आया कि दावा में दर्ज भूमि स्व अर्जित है जिसमें वादीया का हिस्सा नही है।
5. आया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 2005 में दिनांक 9.9.2005 को लागू होने के कारण बाद वादीया को कोई हक हिस्सा नही बनता है दावा खारिज योग्य हे।
6. आया की वादीया को दावा लाने की हासिल नही है
7. आया कि वादीया वादग्रस्त भूम में किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है।
8. आया कि वादीया का वादग्रस्त भूमि में कब्जा नही है तथा कब्जा के अभाव में दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नही है इसका वाद पर क्या असर है
9. यह कि वाद वादीया हिस्सा की घोषण का पेश किया है
10. आया प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 वादग्रस्त भूमि जरिये काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण की गई तथा वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रर्दश करवाया गया तथा साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादीया ने की जाकर दस्तावेजात प्रर्दश करवाये गये तथा जगमाल पुत्र बुधराम के ब्यान व जिरह की गई अन्य साक्ष्य पेश नही करने के कारण वादीया व प्रतिवादीगण के साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक खसरा न0 98 की 4.641हैक कुल 9.282हैक में से भगवानाराम पि0मु0 रामस्वरूप के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक में से 1/4 हिस्सा भगवानाराम पुत्र रामस्वरूप के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

वादीया के पिता भगवानाराम को उक्त भूमि उसके पिता से विरासतन से प्राप्त भूमि है जो वादीया के दादा रामस्वरूप के फौत होने के बाद कर्ता खानदान होने के कारण समस्त 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जबकि उक्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का जन्मज़ात हक हिस्सा के अधिकारी है वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 तथा गायत्री जो फोत हो चुकी है भगवानाराम के वारिस है इसलिये

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक के तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में वादं लाने का कोई अधिकार नही है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 को अस़ल पिता से कोई भूमि प्राप्त नही हुई है संशोधित उतराधिकार अधिनियम सन 2005 में जो दिनांक 9.9.2005 से लागू हुआ था जो पुरा का पुरा दिनांक 13.05.2015 को विलोपित किया जा चुका है इसलिये वादीया को वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार का दावा लाने का अधिकर नही है वाद वादीया विधि द्वारा वर्जित है तथा काबिल खारीजी है वादीया को दावा लोन का कोई वाद हैतुक नही है केवल प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये वाद पेश किया गया वादीया का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया ने दावा वादगस्त भूमि दादालाई मानते हुए प्रस्तुत किया है जो वादीया का दादा रामस्वरूप सन 1997 में ही फोत हो चुका है तथा उस समय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 फोर्स में नही था तथा उस काननू के मुताबिक पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पति तक के लिए दावा ला सकता था तथा पुत्रियों को पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पति में कोई हक अधिकार नही था तथा संशोधित हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 2005 में प्रभाव पश्चातवर्ती है मगर किसी दादा की मृत्यू संशोधित अधिनियम सन 2005 के लागु होने से पूर्व हो चुका है तथा यह संशोधित अधिनियम लागु नही होगा तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 1956 लागु हो गया जिसके अनुसार वादीया वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है।

वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण उतरादाता व रामस्वरूप सन 1997 में फोत होने के कारण उस समय के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन 1956 की धारा 6 ,8 के अनुसा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदारहै वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जरिये काउन्टर क्लेम घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादीया के अधिवक्ता ने काउन्टर क्लेम के सम्बध में अपने जबाबुल जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की दावा में दर्ज समस्त भूमि वादीया की पैतृक सम्पति है तथा वादीया के पिता को विरास्तन से प्राप्त हुई है जो परिवार के मुखिया होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जिसमें वादीया का जन्म से अधिकार है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी में देरीना करने एव भूमि हडपने की नियत से पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

1. **आया कि घोषणा की जावे की रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक खसरा न0 98 की 4.641हैक कुल 9.282हैक में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक भूमि में से वादीया 1/4 हिस्सा दादालाई भूमि है।**

   यह तनकी जो वाद का सार है को [illegible] करने का भार वादीया पर था।

   (वर्तमान जमाबन्दी , [illegible] के समर्थन में प्रस्तुत है)

   प्रस्तुत दस्तावेज [illegible] भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के पिता रामस्वरूप के नाम से [illegible] थी अर्थात वादीया के दादा के नाम से दर्ज थी वादीया के दादा रामस्वरूप के देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भगवानाराम पर औद हुई थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दीया सम्वत 2029 से 2038 एव वर्तमान जमाबन्दीयों से पूर्णत्या साबित है

प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि उसकी स्वअर्जित भूमि है किन्तु वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों से वाद भूमि पैतृक होना पूर्णत्या साबित हो चुका है साथ प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिसके आधार पर स्वअर्जित भूमि होना अंकित किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का कथन है कि वाद भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम जो सन 1956 फोर्स में था इसलिये पुत्रीयों को वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही था संशोधित अधिनियम पश्चावर्ती है स्वीकार योग्य नही है पैतृक सम्पति में पुत्र /पुत्रीया का बराबर का हक हिस्सा होगा जो विधि का सिद्वान्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम जो श्रीराम का पुत्र था श्रीराम एवं रामस्वरू दो भाई थी रामस्वरूप ने श्रीराम के पुत्र भगवानाराम को खोले लिया था जो प्रस्तुत खोलानाम से पुर्णत्या साबित है एवं वादीया एव प्रतिवादीगण का भी इस तथ्य पर किसी प्रकार का विरोध नही है।

भगवानाराम जो श्रीराम का पुत्र था रामस्वरूप के खोले जाने पर रामस्वरूप की सम्पति का वारिस हो गया था जिसे अपने पैतृक पिता श्रीराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक प्राप्त करने का अधिकार नही था ना ही प्राप्त किया गया है इस तथ्य के सम्बध में भी वादीया व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

वाद भूमि पूर्व में रामस्वरूप के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम जो वादीया का पिता के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है जिसमें वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव उसकी पुत्री गायत्री का बराबर का हक हिस्सा होगा तथा गायत्री के देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक के तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

जहॉ तक भगवानाराम के द्वारा अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में करवाई गई वसीयत का प्रश्न है भगवानाराम को वाद भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई विरास्तन से भूमि प्राप्त होने के कारण भगवानाराम प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/5 हिस्सा भूमि की वसीयत करवाने का अधिकारी था समस्त भूमि की वसीयत करवाने का अधिकारी नही था अपने हकों से अधिक भूमि की वसीयत स्वत ही शुन्य है।

इसप्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात/जबाब दावा के अनुसार वाद भूमि दादालाई होना साबित है अर्थात पैतृक भूमि होना साबित होने के कारण तनकी न0 1 का निर्णय वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

तनकी न0 2 ,3 इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर था

तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व उसी पुत्री गायत्री के वारिसान का बराबर का हक हिस्सा है हकों से अधिक भूमि की वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है अतः तनकी न0 2 ,3 भी वादीया के पक्ष में तय की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तनकी न0 5 ता 10 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था

इन तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पर था जिसके सम्बध में प्रतिवादीगण का एक ही कथन है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 फोर्स में था जिसका प्रभाव प्रश्चावर्ती है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पति मे केवल पुत्रों का अधिकार था पुत्रीयो को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही थे स्वीकार योग्य नही था वर्तमान में पुत्र /पुत्रीया एक समान है जिन्हे समानता का अधिकार प्राप्त है पुत्रों को भगवानाराम की समपति में जितना अधिकार प्राप्त उतना अधिकार पुत्रीयों का भी प्राप्त करने का अधिकार है अतः तनकी न0 5 ता 10 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 साबित नही कर पाने के कारण तनकीयात का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के नाम से दर्ज है अपने खोलायत पिता रामस्वरूप के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक सम्पति में सभी पुत्र/पुत्रीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक के तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 जिसने अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम वसीयत करवाई गई वह अपने हकों से अधिक भूमि की करवाई गई है जिसके आधार पर पैतृक सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है भगवानाराम अपने हक हिस्सा तक की भूमि की वसीयत करवा सकता था समस्त भूमि की वसीयत करवाने का अधिकारी नही था वादीया भगवानाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की धोषणा करवाने की अधिकारी है

<u>तनकीवार विवेचन एव वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात /साक्ष्यों से वादीया का वाद पूर्णत्या साबित होने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का काउन्टर क्लेम साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है</u>

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक खसरा न0 98 की 4.641हैक कुल 9.282हैक में से 1/4 हिस्सा भगवानाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक 1/4 हिस्सा भूमि भगवानाराम के नाम से दर्ज है में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 – 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शारदा पुत्री भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ पत्नी तेजपाल शर्मा निवासी वनमन्दोरी

वादी

बनाम

1 भगवानराम पि0 मु0 रामस्वरूप जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2 घनश्याम पुत्र भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
3 होशियारीलाल पुत्र भगवानाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4 ममता पुत्री भगवानाराम पत्नी शिशकान्त जाति शर्मा निवासी कालवाना तहसील डबबाली जिला डबबाली
5 आरजु पुत्री गायत्री पुत्री भगवानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता जसवन्त जाति शर्मा निवासी करणीसर शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ।
6 शाखु पुत्री गायत्री पुत्री भगवानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता जसवन्त जाति शर्मा निवासी करणीसर शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 144 सन 2015 निर्णय दिनांक–07/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीया श्री मांगेराम गोदारा एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 श्री विजयसिह कडवासरा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिवाद़ी संख्या 2 ता 3 का काउन्टर क्लेम साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादीया साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 97 की 4.641हैक खसरा न0 98 की 4.641हैक कुल 9.282हैक में से 1/4 हिस्सा भगवानाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा देईदास के खसरा न0 153 की 6.892हैक 1/4 हिस्सा भूमि भगवानाराम के नाम से दर्ज है में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 – 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:27:47 IST
Reason: SelfAttested